

न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिंगोली

फर्द अहकाम

दिनांक	
13.0.17	<p>न पत्तावली पैसा हुई। व कुलाप फरीकेत उपस्थित नहीं है। पक्षकारान् व कुलाप को वस्ति पैरवी आवाज दिलाई गई किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अबत! दावा वादी अर्द्ध पैरवी एवं अर्द्ध यजिरी में श्वारिज किया जाता है। पत्तावली नम्बर से कत की जाकर वाद तकमील काखिल दफतर की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(५४)</p>